

कार्यालय नगर परिषद उदयपुर (राज)

बैठक संख्या:- 6

दिनांक:- 24.2.2011

वार :- गुरुवार

समय:- दोपहर:- 3.00 बजे

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण।

आज दिनांक 24.2.2011 दोपहर 3.00 बजे समिति की बैठक समिति अध्यक्ष श्रीमति रजनी डांगी की अध्यक्षता में आरंभ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1. श्री महेन्द्र सिंह शेखावत | उपसभापति एवं सदस्य | 9. श्री चतर सिंह जी | सहायक अभियंता |
| 2. श्री मुहम्मद खलील | सदस्य | 10. श्री करीमुद्दीन | सर्वेयर |
| 3. श्रीमति अर्चना शर्मा | सदस्य | 11. श्री सिराजुद्दीन | सर्वेयर |
| 4. श्री मुस्लिम अली बंदुक वाला | सदस्य | 12. श्री चन्द्रांशु नागौरी | कनिष्ठ लिपिक |
| 5. श्री फूल सिंह मीणा | सदस्य | 13. श्री जगदीश सोलंकी | कनिष्ठ लिपिक |
| 6. श्री बी.एम. असावा | आयुक्त एवं सदस्य सचिव | 14. श्री चेतन जैन | कनिष्ठ लिपिक |
| 7. श्री राजेश वर्मा | उपनगर नियोजक | 15. श्री फिरोज खान | कनिष्ठ लिपिक |
| 8. श्री सर्मथ बाबेल | सहायक अभियंता | | |

सर्वप्रथम समिति अध्यक्ष श्रीमती रजनी डांगी द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया ओर दिनांक 15.2.11 की बैठक संख्या 5 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि सभी सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से की जाने के पश्चात् बैठक की कार्यवाही एजेण्डा अनुसार आरंभ की गई।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में/नियमन/नामान्तरण /लीज डीड के संबंधी पत्रावलियों पर विचार विमर्श किया व समिति द्वारा बैठक से पूर्व स्थल निरीक्षण किये गये तथा मौके पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। परिषद के आयुक्त एवं सदस्य सचिव द्वारा नियमन, नामान्तरण, लीज डीड विचाराधिन पत्रावलियों को समिति के समक्ष रख कर विस्तृत जानकारी दी गई। समिति में उपनगर नियोजक व सहायक अभियंता एवं दोनो सर्वेयर उपस्थित थे जिनके साथ समिति के सदस्यों द्वारा भी मौका देखा जाने पर तकनीकी राय से भी अवगत कराया। समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित पत्रावलियों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

| क्रम संख्या | भूखंड संख्या योजना का नाम | प्रार्थी का नाम | विवरण | समिति का निर्णय |
|-------------|--------------------------------------|--|--|---|
| 1. | भूखंड संख्या 142, वाई सेन्ट्रल एरिया | श्रीमति सुंदर बाई पति श्री धारू सिंह गुर्जर | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण एवं लीज डीड हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री बाबू लाल शर्मा के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण , एवं लीज डीड जारी कराना चाहता है। | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेट बेक में किये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से तथा बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे। |
| 2. | भूखंड संख्या 88 हिरण मगरी से नं. 6, | श्रीमति चौसर बाई बापना पति श्री रतन लाल एवं गुंजन बापना पति श्री दिनेश बापना | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण एवं लीज डीड हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री गंगागिरी के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण एवं लीज डीड जारी कराना चाहता है। | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त योजना की वर्तमान भौतिक स्थिति की सर्वे आउट सोर्सिंग से करवायी जाकर प्रकरण पुनः आगामी बैठक में रखा जावे। |

| क्रम संख्या | भूखंड संख्या योजना का नाम | प्रार्थी का नाम | विवरण | समिति का निर्णय |
|-------------|--|---|---|--|
| 3. | भूखंड संख्या 33 से नं. 4, उदयपुर | श्रीमति मंजु एस देवपुरा पति श्री श्याम सुंदर जी एवं श्री कमलेश देवपुरा पिता श्री राजेन्द्र प्रसाद | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री रायचन्द्र सिंह के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेट बेक में किये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से तथा बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे। |
| 4. | भूखण्ड संख्या 438, हिरण मगरी से नं. 11, उदयपुर | श्री ललित कुमार जैन पिता श्री महावीर प्रसाद एवं श्रीमति अनीता पति श्री ललित कुमार जैन | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण एवं लीज डीड हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री गंगागिरी के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण एवं लीज डीड जारी कराना चाहता है | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेट बेक में किये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से तथा बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे। साथ ही इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि वह गैराज के ऊपर निर्माण नहीं करेगा एवं इसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा। |

| क्रम संख्या | भूखंड संख्या योजना का नाम | प्रार्थी का नाम | विवरण | समिति का निर्णय |
|-------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 5. | भूखंड संख्या 1179 हिरण मगरी से नं. 11 | चिराग केश्यू प्रा. लि. | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के <u>नामान्तरण</u> हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्रीमति कमला देवी तिवारी के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति विरुद्ध के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए <u>नामान्तरण</u> चाहता है | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखंड में सेट बेक में विचलन है तथा व्यवसायिक गतिविधियां चल रही है। अतः प्रकरण को निरस्त करते हुए प्रार्थी को सूचित किया जावे कि व्यवसायिक गतिविधियां बंद करें। |
| 6. | भूखंड संख्या 700, हिरण मगरी से नं. 3, | श्री किशन लाल सुथार पिता श्री गावर्धन जी सुथार | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के <u>नामान्तरण एवं लीज डीड</u> हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री गोपाल लाल मंत्री के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी नहीं है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए <u>नामान्तरण /लीज डीड</u> चाहता है | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेट बेक में किये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से तथा बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे। साथ ही इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि वह गैराज एवं प्रोजेक्शन के ऊपर भविष्य में निर्माण नहीं करेगा एवं इसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा। |

| क्रम संख्या | भूखंड संख्या योजना का नाम | प्रार्थी का नाम | विवरण | समिति का निर्णय |
|-------------|--------------------------------------|--|---|---|
| 7. | भूखंड संख्या 142 पी, सेन्ट्रल एरिया, | श्रीमति स्नेहलता सनाढ्य पति श्री भोजराज जी सनाढ्य | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्रीमति किरण देवी सोलंकी के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि प्रार्थी सडक पर निकाले गये प्रोजेक्शन को हटाकर फोटो प्रस्तुत करता है तो सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से एवं बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे। |
| 8. | भूखंड संख्या 25, सीटी स्टेशन रोड, | श्री सुरेश कुमार तोषनीवाल पिता श्री स्व. मोती लाल जी | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण एवं लीज डीड हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री हीरा लाल एवं श्री खेमराज के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण /लीज डीड चाहता है | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस योजना की भौतिक स्थिति का वर्तमान सर्वे आउट सोर्सिंग द्वारा करवाया जावे। साथ ही पूर्व में इस प्रकार के प्रकरणों पर नियमन किया गया हो तो पूर्व नियमन की रिपोर्ट सहित आगामी बैठक में रखा जावे। |

| क्रम संख्या | भूखंड संख्या योजना का नाम | प्रार्थी का नाम | विवरण | समिति का निर्णय |
|-------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 9. | भूखंड संख्या 19 सेवाश्रम | श्री मोहब्बत सिंह राठौड | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के लीज डीड हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड स्वयं के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को यू आई टी से प्राप्त किया हैं। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए लीज डीड चाहता है | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि योजना की वर्तमान भौतिक स्थिति का सर्वे आउट सोर्सिंग द्वारा करवाया जावे साथ ही पूर्व में इस प्रकार के प्रकरणों पर नियमन किया गया हो तो पूर्व नियमन की रिपोर्ट सहित आगामी बैठक मे रखा जावे। |
| 10. | भूखंड संख्या 501, हिरण मगरी से नं. 11 | श्रीमति श्यामा देवी पति श्री कनकमल जैन | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री कैलाश चन्द्र एवं श्री राजेश जडिया के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया हैं। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सर्व प्रथम सेट बेक के नियमन की आपति आमंत्रण की जावे। यदि कोई आपति नहीं आती है तो सेट बेक में किये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से एवं बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत के 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे। |

| क्रम संख्या | भूखंड संख्या योजना का नाम | प्रार्थी का नाम | विवरण | समिति का निर्णय |
|-------------|-------------------------------------|---|---|--|
| 11. | भूखंड संख्या 18, सिटी स्टेशन रोड | श्री पूरण मल मेहता पिता श्री सोहन लाल मेहता | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री पूरण मल एवं कल्याण मेहता के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को दान पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि योजना की भौतिक स्थिति का सर्वे आउट सोर्सिंग द्वारा करवाया जावे पूर्व में इस प्रकार के प्रकरणों पर नियमन किया गया हो तो पूर्व नियमन की रिपोर्ट सहित आगामी बैठक में रखा जावे। |
| 12. | भूखंड संख्या 53, हिरण मगरी से नं. 5 | श्रीमति विनोदिनी मेहता | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के लीज डीड हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड स्वयं के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को यू आई टी से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए लीज डीड चाहता है | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि गैराज वाले भाग को सेट बेक सीमा तक हटाकर फोटो प्रस्तुत करने पर शेष सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से लेते हुए एवं बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से लेते हुए नियमन किया जावे। सेट बेक में किये गये नियमन क्षेत्र पर भविष्य में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावे। |

| क्रम संख्या | भूखंड संख्या योजना का नाम | प्रार्थी का नाम | विवरण | समिति का निर्णय |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 13. | भूखंडसंख्या 4 हि म. से नं. 3 | श्री अमन सिंह पिता श्री चरणजीत सिंह | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण/लीज डीड हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री चरणजीत सिंह के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विरासत से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण / लीज डीड चाहता है | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेट बेक में बनी हुई दुकानों को हटाकर फोटो प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी को लिखा जावे। फोटो प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे। |
| 14. | भूखंड संख्या 29 ए, किशनपोल | श्रीमति नजमा गौरी | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण/लीज डीड हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री उदय लाल वैरागी के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण / लीज डीड चाहता है | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेट बेक में किये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से तथा बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे। साथ ही इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि सेट बेक व प्रोजेक्शन के ऊपर भविष्य में निर्माण नहीं करे। |

| क्रम संख्या | भूखंड संख्या योजना का नाम | प्रार्थी का नाम | विवरण | समिति का निर्णय |
|-------------|----------------------------|-----------------------|--|--|
| 15. | भूखंड संख्या 2, तोरण बावडी | श्री प्यारे लाल सुथार | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री नवल राम के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया हैं। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में भवन अनुमति समिति की बैठक दिनांक 15.2.2007 के निर्णय अनुसार प्रार्थी ने चार फीट सरकारी भूमि को भवन में शामिल कर ली है तथा तलघर और प्रथम तल का निर्माण कर लिया है जिसका नियमन करते हुए नामान्तरण करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् राशि निकालकर प्रार्थी को राशि जमा कराने हेतू कई बार सूचित किया गया। लेकिन प्रार्थी द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई। 17.7.2008 को तत्कालीन आयुक्त द्वारा अनाधिकृत निर्माण को हटाने की कार्यवाही हेतू लिखा गया। जिस पर पत्रावली अतिक्रमण शाखा में भिजवाई गई दिनांक 16.9.2010 को पत्रावली बिना किसी कार्यवाही के अतिक्रमण शाखा से पुनः प्रन्यास शाखा को प्राप्त हुई जिस पर टिप्पणी कर वर्तमान स्थिति की मौका रिपोर्ट हेतू आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये। सर्वेयर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी ने मौके पर तलघर ग्राउण्ड फ्लोर प्रथम तल एवं द्वितिय तल के कुछ भाग में सेट बेक एवं सरकारी भूमि को शामिल करते हुए निर्माण कर लिया है। समिति द्वारा मौका देखा गया तथा निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में नियमन नहीं किया जावे। तथा भवन को सीज करने हेतू अतिक्रमण शाखा को पत्रावली भिजवाई जावे। |

| क्रम संख्या | भूखंड संख्या योजना का नाम | प्रार्थी का नाम | विवरण | समिति का निर्णय |
|-------------|--------------------------------|------------------------|--|--|
| 16. | भूखंड संख्या 264, रेती स्टेण्ड | श्री कैलाश चन्द्र तेली | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के लीज डीड हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड स्वयं के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को यू आई टी से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए लीज डीड चाहता है। | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेट बेक में किये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से तथा बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे। साथ ही इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि सडक पर बनाये प्रोजेक्शन के ऊपर भविष्य में निर्माण नहीं करेगा। |
| 17. | 131 अलीपुरा | श्रीमति भारती सिधंवी | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड फूल माली समाज हाथीपोल के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय विलेख से प्राप्त किया है। मौके पर प्रार्थी ने सामने एवं तीनो तरफ संपूर्ण सेट बेक में निर्माण कर लिया है। जो कि नियमन सीमा में नहीं आता है। | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने फ्रन्ट एवं तीनों तरफ सेट बेक के संपूर्ण भाग में निर्माण कर लिया गया है। जो कि नियमन सीमा में नहीं आता है। अतः प्रार्थी के नाम पर नामान्तरण नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी के प्रकरण को निरस्त किया जाता है। |

| क्रम संख्या | भूखंड संख्या योजना का नाम | प्रार्थी का नाम | विवरण | समिति का निर्णय |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|---|--|
| 18. | 101 अशोक नगर | श्री अशोक दक | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री हीरा लाल दक के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को हक त्याग पत्र से प्राप्त किया हैं। प्रार्थी की मूल पत्रावली समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई व जो पत्रावली चल रही है वह डुप्लीकेट पत्रावली है। जो परिषद् में ही बनायी गई है। | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रन्यास शाखा से स्पष्ट रिपोर्ट ली जावे कि नगर विकास प्रन्यास से पत्रावली प्राप्त हुई या नहीं यदि पत्रावली परिषद् को हस्तान्तरित हुई हो तो मूल पत्रावली समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। |
| 19. | 20, सेठ जी की बाडी | श्रीमति कंचन देवी / दयाल सिंह | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड दौलत सिंह / चांद मल कावडियां के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को हक त्याग पत्र व विक्रय विलेख से प्राप्त किया हैं। प्रार्थी का प्रकरण 2006 से विचाराधिन है एवं पत्रावली में वर्तमान रिपोर्ट नहीं है। | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के प्रकरण की विस्तृत आज की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर आगामी बैठक में प्रकरण रखा जावे। |

| क्रम संख्या | भूखंड संख्या योजना का नाम | प्रार्थी का नाम | विवरण | समिति का निर्णय |
|-------------|---------------------------|--|--|---|
| 20. | 474, भुपालपुरा | श्री महेश नारवानी, कमलेश नारवानी, दामोदर नारवानी | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री हिम्मत सिंह पिता मोहन लाल के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध सामने के सेट बेक एवं साईड व बेक सेट बेक में भी निर्माण कर रखा है व पीछे की तरफ अतिरिक्त भूमि पर भी निर्माण कर रखा है एवं प्रथम तल बिना स्वीकृति के निर्माण कर रखा है। | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पीछे की तरफ आस पास के भवनों की भी सर्वे आउट सोर्सिंग से करवाई जावे कि कितने लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है व सर्वे रिपोर्ट आने पर आगामी बैठक में प्रकरण रखा जावे। |
| 21. | 57,पाठो की मगरी | श्री एल एन शर्मा , सुनीता शर्मा | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री रोशन लाल /श्री प्यारचंद के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय विलेख से प्राप्त किया है। मौके पर प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध साईट सेट बेक एवं पीछे के सेट बेक में निर्माण कर रखा है जिसे नियमन कराना चाहता है। | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध साईड सेट बेक एवं पीछे के सेट बेक में जो निर्माण कर रखा है उसकी शास्ती आरक्षित दर से लेते हुए नियमन किया जावे। |

| क्रम संख्या | भूखंड संख्या योजना का नाम | प्रार्थी का नाम | विवरण | समिति का निर्णय |
|-------------|---------------------------|---------------------|---|--|
| 22. | 8, शॉप मोती मगरी | श्री मकबुल हुसैन | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री किशन लाल तेली के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय विलेख से प्राप्त किया है। प्रार्थी को नगर विकास प्रन्यास द्वारा टाईप डिजाईन अनुसार भूतल की स्वीकृति दी गई थी उसके पश्चात् प्रथम तल को नियमन किया गया एवं उसके पश्चात् बिना स्वीकृति के प्रार्थी ने द्वितीय तल एवं तृतीय तल का निर्माण कर लिया गया है जो नियमन सीमा में नहीं आता है। | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने नियमों के विपरित द्वितीय तल एवं तृतीय तल पर निर्माण किया गया जो कि नियमन सीमा में नहीं आता है। अतः प्रार्थी के प्रकरण को निरस्त किया जाता है। |
| 23. | 244, भुपालपुरा | श्री शिवनारायण माली | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री गिरवर लाल माली के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को निष्ठा पत्र से प्राप्त किया है। प्रार्थी ने सामने के सेट बेक एवं साईड के सेट बेक में निर्माण कर रखा है एवं बिना स्वीकृति के भी निर्माण कर रखा है। | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन के दोनों ओर के सेट बेक का सर्वे करवाया जावे एवं सर्वे होने के पश्चात् समिति को मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में रखा जावे। |

| क्रम संख्या | भूखंड संख्या योजना का नाम | प्रार्थी का नाम | विवरण | समिति का निर्णय |
|-------------|---------------------------|---|--|---|
| 24. | 214, अशोक नगर | श्रीमति सुंदर बाई | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री रतन लाल बोहरा के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। मौके पर प्रार्थी ने पीछे के सेट बेक में लेट्रिन बाथरूम बनाया एवं सिढी बालकीनी आदि का निर्माण किया गया एवं प्रथम तल भी सेट बेक को शामिल करते हुए बिना स्वीकृति के बनाया गया। | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |
| 25. | 431, भुपालपुरा | श्री गुरप्रीत सिंह सोनी , सोनिया सोनी,जोगिन्दर सिंह | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड तख्त सिंह मेहतां के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। मौके पर प्रार्थी ने भूतल + तीन मंजिल भवन बना रखा है एवं सेट बेक में भी निर्माण कर रखा है एवं स्वयं की कंपनी का ऑफिस लगा रखा है। | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |

| क्रम संख्या | भूखंड संख्या योजना का नाम | प्रार्थी का नाम | विवरण | समिति का निर्णय |
|-------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
| 26. | 1, सुरजपोल देहलीगेट | श्री पवन कुमार, श्री विनोद कुमार | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड शांता देवी मुंदडां के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय विलेख से प्राप्त किया है। मौके पर प्रार्थी ने मौके पर बरामदे को दुकानों में शामिल कर रखा है। | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि योजना की भौतिक स्थिति का सर्वे आउट सोर्सिंग से कराकर आस पास के बरामदे की स्थिति/ सर्वेयर रिपोर्ट लेते हुए आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |
| 27. | 41, अशोक नगर | श्री भीम सिंह चुण्डावत | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्रीमति गणेशी/भैरु सिंह के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। मौके पर प्रार्थी ने फ्रन्ट सेट बेक को एवं साईड व बेक सेट बेक को शामिल मिलाते हुए भवन बनाया गया एवं बिना स्वीकृति के भी निर्माण किया गया है। | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती के कुछ सदस्यों द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के सडक की चौडाई बाबत रिपोर्ट लेते हुए प्रकरण समिती के सभी सदस्यों को मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में रखा जावे। |
| 28. | 12, दैत्य मगरी | श्री सुरेश गमेती, टमु बाई | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री रूप लाल, दीप लाल के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को वारीसान से प्राप्त किया है। मौके पर प्रार्थी ने सामने के सेट बेक में टॉयलेट बनाया एवं पीछे के सेट बेक में आंशिक निर्माण किया है व कुछ अतिरिक्त भूमि को भवन में शामिल | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |

| क्रम संख्या | भूखंड संख्या योजना का नाम | प्रार्थी का नाम | विवरण | समिति का निर्णय |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | | मिलाया गया। | |
| 29. | 38, अशोक नगर | श्री कांति लाल पटेल, विनोद भाई पटेल | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री राम जी भाई पटेल के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को हक त्याग पत्र से प्राप्त किया है। मौके पर प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध भूतल में साईड सेट बेक एवं पीछे के सेट बेक में बाथरूम आदि बना रखा है। एवं प्रथम तल में निकासु को चारों तरफ बनाया गया व उसे भवन में शामिल मिला लिया गया है एवं द्वितीय एवं तृतीय तल में कमरा आदि बिना स्वीकृति के बनाया गया व सेट बेक में निकासु बंद बनाया गया। | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में जो निर्माण किया गया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं जो भाग बिना स्वीकृति के बनाया गया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से लेते हुए नियमन किया जावे। |
| 30. | 17, आयड विस्तार योजना (दुकान) | श्री अजय पाल सिंह | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री रतन लाल/चांदमलं के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय विलेख से प्राप्त किया है। मौके पर प्रार्थी ने टाईप डिजाईन के विरुद्ध बिना स्वीकृति के भूतल प्रथम तल एवं द्वितीय तल मय बंद निकासु के वाणिज्यिक भवन बना रखा है। | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि योजना की भौतिक स्थिति का सर्वे आउट सोर्सिंग से कराकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |

| क्रम संख्या | भूखंड संख्या योजना का नाम | प्रार्थी का नाम | विवरण | समिति का निर्णय |
|-------------|---------------------------|--|--|--|
| 31. | 175, आयड अशोक नगर | श्री हरिश चन्द्र गुप्ता , कृष्ण चन्द,रमेश चन्द्र, जगदीश चन्द्र पिता श्री फूल चंद | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री फूलचंद गुप्ता के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को वसीयत से प्राप्त किया है। मौका देखा मौके पर प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध भूतल में पीछे के सेट बेक में निर्माण किया एवं प्रथम तल में गौराज के ऊपर कमरा बनाया एवं पीछे के सेट बेक में निर्माण कर रखा है एवं सामने एवं दोनो साईड सेट बेक में निकासु बनाया गया है। | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने सेट बेक में जो भी निर्माण कर रखा है उसकी शास्ती आरक्षित दर से लेते हुए किये गये निर्माण को नियमन किया जावे। |
| 32. | 394, अशोक नगर | श्री जे एस चपलोट | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री कुंदनमल चपलोट के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को वारीसान से प्राप्त किया है। मौका देखा मौके पर प्रार्थी ने भूतल में फ्रन्ट सेट बेक एवं साईड सेट बेक में निर्माण किया गया व पीछे की तरफ बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया व उसी अनुसार प्रथम तल में भी फ्रन्ट सेट बेक के कुछ भाग पर निर्माण किया व साईड सेट बेक में कमरा आदि का निर्माण किया गया पीछे की तरफ बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया। | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने सेट बेक में जो निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं बिना स्वीकृति के किये गये निर्माण की लागत की 5 प्रतिशत से शास्ती ली जावे। |

| क्रम संख्या | भूखंड संख्या योजना का नाम | प्रार्थी का नाम | विवरण | समिति का निर्णय |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------|---|--|
| 33. | 20 सी चौगान योजना | श्री नरेन्द्र सरूपरिया, रेखा सरूपरिया | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री भगवान लाल, जगदीशचन्द्र के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय विलेख से प्राप्त किया है। मौका देखा मौके पर सामने की तरफ जर्जर अवस्था में गैराज बना रखा है बाकी पुराने भवन को गिरा दिया गया है। | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो सामने की तरफ गैराज बना रखा है। जो कि जर्जर अवस्था में है। उसे गिराने बाबत शपथ पत्र लिया जावे। उसके पश्चात् नामान्तरण किया जावे। |
| 34. | 25, 26 चौगान योजना | श्री संतोष कुमार सिंह राठौड | प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड बहादुर सिंह पिता लक्ष्मण सिंह के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को उपहार पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए लीज डीड चाहता है मौका देखा मौके पर प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सामने के सेट बेक में गैराज बना रखा है एवं साईड सेट बेक व पीछे के सेट बेक में भी निर्माण कर रखा है प्रथम तल में भी साईड सेट बेक में निर्माण कर रखा है। | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने भूतल पर गैराज के रूप में एवं सेट बेक में निर्माण कर रखा है उसकी शास्ती आरक्षित दर से लेते हुए किए गए निर्माण का नियमन किया जाता है। |

| क्रम संख्या | भूखंड संख्या योजना का नाम | प्रार्थी का नाम | विवरण | समिति का निर्णय |
|-------------|---|--|---|---|
| 35. | भ. अ/123/08-09 21, ए दैत्य मगरी, उदयपुर | श्री डॉ दिनेश खत्री पिता श्री किशन दास खत्री | मौका देखा मौके पर प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सामने सेट बेक में सिढी पिल्लर बना रखे है एवं साईड सेट बेक में कार पोर्च बना रखा है। फ्रन्ट सेट बेक में जो सिढी बनी हुई है सिर्फ प्रथम तल तक ही जाती है एवं प्रथम तल में पोर्च के ऊपर भी कमरा बना रखा है | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो फ्रन्ट सेट बेक में सिढीया आदि बना रखी हैं एवं साईड सेट बेक में पोर्च व उस पर कमरा आदि बना रखा है जिसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं फ्रन्ट में जो सिढी बनाई गई है उसे खुली ही रखे एवं उस पर किसी तरह का निर्माण नहीं करने का शपथ पत्र भी लिया जावे। |
| 36. | भ. अ/81/09-10 1084, हिरण मगरी, से नं. 4, उदयपुर | श्री संदीप डागरिया पति श्री सुमति लाल डागरिया | मौके पर भूतल प्रथम एवं द्वितिय तल भाग स्ट्रक्चर निर्माण किया गया है जिसमें यहां के सेट बेक सामने से 10'-0" साईड से 10'-0" एवं पीछे से 5'-0" छोडने का प्रावधान है। जिसमें मौके पर विचलन किया गया है। प्रार्थी द्वारा किये गये निर्माण को किये गये निर्माण को नियमन करवाने की प्रार्थना की गई है। | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मौके की स्थिति को देखते हुए एवं सर्वे प्लान को भी देखते हुए भवन के नियमन बाबत आपति आमंत्रित की जावे व कोई आपति न आने पर उक्त किये गये निर्माण भवन रेखा के मध्य की लागत का 5 प्रतिशत एवं सेट बेक में किये गये निर्माण की आरक्षित दर से राशि वसूल कर नियमन किया जावे। |
| क्रम संख्या | भूखंड संख्या योजना का नाम | प्रार्थी का नाम | विवरण | समिति का निर्णय |
| 37. | भ. अ/98/09-10 150, टैगोर नगर, से नं. 4,हिरण | श्री प्रताप सिंह चौधरी पिता श्री सज्जन सिंह चौधरी | मौके पर भूतल भवन बना हुआ है जिसमें सामने के सेट बेक में खुली नाल बनी हुई है तथा साईड एवं पीछे पूर्व स्वीकृति | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मौका |

| | | | | |
|-----|--|---|--|---|
| | मगरी, उदयपुर | | के विरुद्ध सेट बेक में विचलन किया गया है। प्रार्थी यहां बने भवन पर प्रथम एवं द्वितीय तल निर्माण करना प्रस्तावित किया गया है। | देखा गया यहां आस पास की स्थिति को देखते हुए मौके पर किये गये सेट बेक में निर्माण के तहत सामने खुली सिढी जो बनी हुई है। उसको कायम रखते हुए तथा उस पर किसी प्रकार की कोई ओर सिढी – छवाई आदि न करें। इस क्षेत्र पर सामने साईड में एवं पीछे सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती राशि आरक्षित दर से वसूल की जाकर प्रकरण का नियमन किया जाता है। |
| 38. | भ. अ/161/08-09 11, अग्रसेन नगर उदयपुर | श्रीमति किशन प्यारी पति श्री सत्यनारायण अग्रवाल एवं श्री सत्यनारायण अग्रवाल पिता श्री हीरा लाल अग्रवाल | मौके पर तलघर पार्ट भूतल + चार मंजिल भवन बना हुआ है जिसमें होटल हेतु वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ गतिविधियां चल रही है। प्रार्थी द्वारा थर्ड एवं फोर्थ फ्लोर का निर्माण करना प्रस्तावित किया गया है। | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित नक्शों में थर्ड एवं फोर्थ फ्लोर का निर्माण करना प्रस्तावित किया गया है। पूर्व में भ.अ/248/2005-2006 के तहत भूतल + दो मंजिल वाणिज्यिक भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। मौके पर तलघर भूतल + चार मंजिल भवन बना हुआ है। जिसमें वाणिज्यिक गतिविधी होटल व्यवसाय हो रहा है। प्रार्थी द्वारा थर्ड व फोर्थ फ्लोर का निर्माण करना चाहते हैं। जबकि उक्त स्थल पर पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध नहीं है एवं मौके पर उक्त फ्लोरों का निर्माण हो चुका है। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भवन में पार्किंग सुविधा उपलब्ध न होने के कारण अतिरिक्त मंजिलों का नियमन नहीं किया जावे अतः प्रकरण को निरस्त किया जाकर अतिरिक्त किये गये निर्माण को हटाने बाबत अतिक्रमण शाखा को पाबंद किया जावे। |

| क्रम संख्या | भूखंड संख्या योजना का नाम | प्रार्थी का नाम | विवरण | समिति का निर्णय |
|-------------|--|---|--|---|
| 39. | भ. अ/202/06-07 1 क 1 हिरण मगरी से नं. 11, इण्डीयन ऑयल के सामने उदयपुर | श्री फतेहलाल नागदा पिता स्व. भंवर लाल नागदा | मौके पर बेसमेंट व गैराज व भूतल सेट बेक को शामिल करते हुए निर्माण किया गया है। जिसका पूर्व में भवन निर्माण समिति द्वारा दिनांक 15.2.07 के तहत किये गये निर्माण को नियमन किये जाने का निर्णय लिया गया। जिसका निमयन शुल्क परिषद् कोष में जमा किया गया तथा न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर में वाद दायर हुआ तथा दिनांक 30.3.10 को निर्णय दिया गया कि भवन निर्माण समिति द्वारा लिये गये निर्णय को निरस्त करते हुए बाँयलाज अनुसार सेट बेक रखवाते हुए निर्माण अनुमति नये सिरे से नगर परिषद् उदयपुर को निर्माण किया गया। | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर के निर्णय दिनांक 30.3.10 के तहत भवन निर्माण समिति द्वारा दिनांक 15.2.07 को किये गये नियमन को निरस्त किया जाता है। इसकी सूचना प्रार्थी को दी जावे। |
| 40. | भ. अ/61/09-10 1, 1 ई, 1 एफ, अशोक नगर, उदयपुर | श्री राजेन्द्र कुमार, प्रभु लाल, मोहन लाल, दाखी बाई कुम्हार | प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया गया /निकासु बनाया गया। प्रार्थी के विरुद्ध उजरदारी प्रस्तुत हुई जिस पर दोनों पक्षों को सुना गया एवं उपनगर नियोजक से विस्तृत रिपोर्ट लिये जाने हेतु लिखा गया है। | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर एवं उपनगर नियोजक से विस्तृत रिपोर्ट लेते हुए आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |

| | | | | |
|-----|--|--|--|---|
| 41. | भ. अ/44/10-11 14, आदेश्वर कोलोनी बोहरवाडी, उदयपुर | श्री कांति लाल जैन पिता स्व. कन्हैया लाल जी जैन | | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |
| 42. | भ.अ/73/10-11 नीम का चौक, अभिन्नदन स्कूल के पास, गारियावास उदयपुर | श्रीमति लता देवी चौधरी पति स्व. पुष्पजीत चौधरी | | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |
| 43. | भ.अ/136/10-11 120 बी, शिकारवाडी कोलोनी गावर्धन विलास, उदयपुर | श्री भगवत सिंह हरकावत पिता श्री रोशन लाल हरकावत | | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |
| 44. | भ.अ/111/10-11 मेहता जी की बाडी, गुलाब बाग रोड, उदयपुर | मेसर्स बालाजी मल्टी स्टोरी प्रा. लि. | | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |

| | | | | |
|-----|--|--|--|---|
| 45. | भ.अ/197/09-10 720, का भाग से नं. 11, उदयपुर | श्रीमति मोहिनी देवी पति श्री भगवती लाल जैन | | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |
| 46. | भ.अ/81/09-10 1084, हिरण मगरी, से नं. 4, उदयपुर | श्री संदीप डागरिया पति श्री सुमति लाल डागरिया | | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |
| 47. | भ.अ/42/09-10 1 प 12, हाउसिंग बोर्ड कोलोनी, हिरण मगरी से 4 उदयपुर | श्री नरीभान नेपाली पिता स्व. सुनी सिंह | | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |
| 48. | भ.अ/172/09-10 19,ऊँटों का कारखाना भट्टियानी चौहट्टा, उदयपुर | श्री नीलकंठ जोशी पिता श्री रूप लाल जी जोशी | | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |

| | | | | |
|-----|--|---|--|---|
| 49. | भ.अ/80/09-10 88, चेटक मार्ग, आकाशदीप के पास हाथीपोल चौगान मार्ग स्कीम, उदयपुर | श्री नरेन्द्र कुमार डामर एच यू एफ पिता श्री भंवर लाल डामर | | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |
| 50. | भ.अ/138/09-10 भूखंड संख्या 15, भिखारी नाथ जी का मठ, रेजीडेंसी के पास, उदयपुर | मसर्स गणपति प्लाजा पार्टनर – श्री मोहन माखीजा एवं सुरेश कुमार माखीजा | | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |
| 51. | भ.अ/137/09-10 24, पिछोली मागा जी की हवेली के पास, उदयपुर | श्रीमति पुष्पा देवी धाबाई पति राधाकृष्ण धाबाई | | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |
| 52. | भ.अ/7/09-10 4, सी मधुबन, उदयपुर | शर्मा मार्लो एसोसियेट प्रा. लि. डायरेक्टर विजय कुमार शर्मा | | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |

| | | | | |
|-----|---|--|--|---|
| 53. | भ.अ/113/09-10 5, भूतमहल, उदयपुर | श्रीमति जेहरा बाई, श्रीमति तस्नीम, श्रीमति जेनब बाई, मनोज कच्छावा, तस्नीम बाई पति असगर अली | | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |
| 54. | भ.अ/141/09-10 32, पंचवटी, उदयपुर | मसर्स जय श्री बिल्डर्स प्रा. लि. जरिये निदेशक लोकेश जैन, | | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |
| 55. | भ.अ/140/08-09 प्लाट नं. 103-104 बापू बाजार, उदयपुर | श्री मदन लाल ताकडिया पिता श्री भंवर लाल ताकडिया | | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |
| 56. | भ.अ/126/08-09 पंचशील मार्केट, मैन रोड, हिरण मगरी से नं. 5, उदयपुर | रिद्धी सिद्धी बिल्डर्स पार्टनर फूलचंद पोखरना | | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |

| | | | | |
|-----|---|---|--|---|
| 57. | भ.अ/215/08-09 16, उतरी सुंदरवास, उदयपुर | श्री लोकेश संचेती पिता स्व. मदन लाल जी संचेती एवं श्रीमति शांता संचेती पति लोकेश संचेती | | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |
| 58. | भ.अ/63/08-09 प्लाट नं 71-72 रतनजीत काम्पलेक्स से नं. 13, उदयपुर | श्री महेन्द्र टाया पिता कन्हैया लाल एवं प्रशांत जैन पिता बसंती लाल जैन | | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |
| 59. | भ.अ/183/08-09 25 ए - सी न्यू फतेहपुरा उदयपुर | श्री अब्बास अली पिता सैफुद्दीन | | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |
| 60. | भ.अ/95/07-08 प्लाट नं. 2,3 सुभाष नगर, पाठों की मगरी, उदयपुर | श्री नाना लाल तेली एवं अन्य | | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| 61. | भ.अ/196/07-08 40,प्रेमी द्वारा मार्ग, अमल का कांटा, उदयपुर | श्री विष्णु शंकर टांक पिता उदयलाल जी टांक | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |
| 62. | भ.अ/185/06-07 4, गुलाब भवन प्रताप मार्ग, शिक्षा भवन चौराहा, उदयपुर | मसर्स बुला कन्ट्रक्शन पार्टनर नरेश बुला | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |
| 63. | भ.अ/274/06-07 प्लाट 200-201 से नं. 4 उदयपुर | दिवान टाप टाईम | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |
| 64. | भ.अ/152/06-07 1-2 सुरानों की सेहरी, उदयपुर | श्रीमति चन्द्रा देवी पति शांति लाल चेलावत श्रीमति संगीता सुराना पति रविन्द्र सुराना | प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समयाभाव के कारण समिति सदस्यों द्वारा मौका नहीं देख पाने के कारण बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन का मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे। |

1. जिन पत्रावलियों पर सबूत मौके के नक्शों या अन्य सूचना बाबत पत्र दिये गये परंतु अभी तक जवाब प्राप्त नहीं होने की परिस्थिति में इन पत्रावलियों पर अंतिम 7 दिवस का सूचना पत्र दिया जावे तथा जवाब नहीं आने पर पत्रावली बिना समिति के समक्ष रखे ही प्रशासनिक स्तर पर निरस्त कर दी जावे।
2. जिन पत्रावलियों पर शुल्क, नियमन राशि आदि बकाया चल रही है। उनको बार – बार सूचित करने पर भी नियमन राशि आदि प्रार्थी द्वारा जमा नहीं करायी जा रही है। इस परिस्थिति में शुल्क बाबत पत्रावलियों पर धारा 130 के तहत नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही कर पत्रावली अतिक्रमण शाखा में कार्यवाही हेतु भिजवायी जाने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त
नगर परिषद, उदयपुर

अध्यक्ष
अपराधो का शमन एवं समझौता समिति

क्रमांक:- नपउ/कौशा/10-11/

दिनांक:-

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग , राज. जयपुर ।
2. श्रीमान् उप निदेशक महोदय, (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग , राज. उदयपुर ।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. श्रीमान् सभापति /समिति अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद्, उदयपुर।
5. श्री/श्रीमति.....समिति सदस्य।
6. सचिव नगर परिषद्, उदयपुर।
7. उप नगर नियोजक, नगर परिषद्, उदयपुर।
8.शाखा प्रभारी।
9. निजी सहायक आयुक्त नगर परिषद्, उदयपुर।

आयुक्त
नगर परिषद्, उदयपुर